जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–809/2026

नगर थाना काण्ड संख्या–392/2025

27.08.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त सुजीत कुमार पिता संजय कुमार, निवासी ग्राम देवी सराय, थाना दीपनगर, जिला नालन्दा की ओर से दिनांक–25.06.2026 को दाखिल किया गया है, जो दिनांक–03.06.2026 से कारा में निरोधित है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचक बबन कुमार का ट्रक निवंधन संख्या–JH02AP5354 को दिनांक–24.06.2015 को यामहा शो रूम औरंगाबाद के सामने से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के न्यायालय द्वारा दिनांक–12.06.2026 को खारिज कर दिया गया है, तदोपरांत आवेदक के द्वारा यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा उसके पास से कोई भी सामान की बरामदगी नहीं हुई है तथा वह दिनांक–03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन नगर थाना कांड संख्या–392/2025 अन्तर्गत धारा 303(2), 310(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दर्ज किये गये प्राथमिकी से सम्बन्धित है। अभिलेख पर संधारित सामग्री एवं वाद दैनिकी का सम्यक् परिशीलन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि उसका नाम अनुसंधान के क्रम में इस वाद के सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। उपरोक्त वर्णित चोरी हुई ट्रक आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद नहीं हुई है, बल्कि संजय वॉडी बिल्डर गैराज, गोलापुर रोड नवादा से बरामद हुआ है, जिसका उल्लेख कांड दैनिकी की कंडिका–42 एवं 43 में उल्लेखित है। अभियुक्त दिनांक–03.06.2026 से कारा में निरोधित है। ओवदक का अपराधिक इतिहास नहीं है।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को दिनांक–03.06.2026 को गिरफ्तार किया गया है परन्तु पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के दौरान विधिक औपचारिकताओं को पूरा नही की गई है, जिससे पुलिस की गिरफ्तारी त्रुटीपूर्ण है तथा गिरफ्तारी अवैध प्रतीत होता है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि ''जमानत नियम है और जेल अपवाद है'' तथा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। चूँकि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उचित नियम एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा अभियुक्त दिनांक– 03.06.2026 से कारा में निरोधित है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा कारा संसीमन अवधि पर विचार करते हुये, आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव (10000X2) दस–दस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंध पत्र दाखिल किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर

लगातार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/ जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–809/2026

नगर थाना काण्ड संख्या–392/2025

लगातार
27.08.2026

मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वह भविष्य में इस तरह का अपराध में उसकी संलिप्तता आता है तो उसका बंधपत्र बिखंडित कर दिया जायेगा, आरोप गठन तक वह इस वाद में प्रत्येक नियत निर्धारित तिथि को सदेह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

आदेश की तिथि	27.08.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	29.08.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
27.08.2026